

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20 1979/फाल्गुन 1, 1900
No. 87] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1979/PHALGUNA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

धाणिउद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(बाणिज्य विभाग)

आवृत्ति

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

क्र. आ. 104 (अ) सं. इ(सी)ओ 1977/ए एम. (98) :—आयात निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते
हुए केंद्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 में आगे संशोधन करने
के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन आदेश, 1979 की
संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में,

(1) भाग 'ख' अनुसूची 1 में क्र. सं. 77(1) में विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी :—

क्र. सं. 77(1) ब्रिलियन चांदी, चांदी के पत्र और प्लेटें जिन पर रोलिंग के बाद निर्माण की कोई प्रक्रिया न की गई हो।"

(2) भाग 'क' अनुसूची 1 में क्र. सं. 45 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :—

"क्र. सं. 47 ब्रिलियन चांदी, चांदी के पत्र और प्लेटें जिन पर रोलिंग के बाद निर्माण की कोई प्रक्रिया न की गई हो।"

[मिमिल सं. 21/1/79-ई-1]

का. वै. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 20th February, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 104(E) No. F(C)O 1977/AM(98).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifteenth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order 1977,

(i) in Part B Schedule I the existing entry appearing against S. No. 77(i) shall be deleted :

"S. No. 77(i) Silver bullion, silver sheets and plates which have not undergone any process of manufacture subsequent to rolling."

(ii) in Part A Schedule 1 the following shall be added after S. No. 46 :

"S. No. 47 Silver bullion, silver sheets and plates which have not undergone any process of manufacture subsequent to rolling."

[File No. 21/1/79 E-I]

K. V. SHESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.